

156
18

कक्षा 12 के छात्रों के लिए
 अभ्यास के रूप में 20 प्रश्नों को देना है।
 प्रश्नों में से कौन-कौन से प्रश्नों को
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।
 कक्षा 12 के छात्रों को देना है।

प्रमुख अधिकारी एम
 सहायक क्रिकेटर
 काठमांडू (बीसवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला नीलवाड़ा (राजो)
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धार, P.A.S.
 प्रकरण संख्या 238/2018
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 जैन्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958
 उन्मान

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
 दिनांक 15/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण का नाम : श्री. इन्द्रराज रेवाड़ी
 निवासी : खाली मजली
 विपक्षी/विपक्षीगण का नाम : श्री. इन्द्रराज रेवाड़ी
 निवासी : खाली मजली
 उपस्थित :- श्री. इन्द्रराज रेवाड़ी
 दिनांक 15/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान नू-राजस्थान अधिनियम, 1958 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम खाली मजली तहसील शाहपुरा/ खाली मजली जिला नीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1707/8 प्र. ख. 0-65

कुल किता 1 रकबा 0-65 हैक्टयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम खाली मजली संवत् 1974 से 1977 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खाली मजली में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1 रकबा 0-65 हैक्टयर की पुख्खा पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ खाली मजली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ खाली मजली मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी नौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थी/प्रार्थीगण को सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय आज दिनांक 15/6/18



के. आर. धार
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (पीठासीन)

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ खाली मजली पास भेजकर लेख है कि खाली मजली पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. धार
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (पीठासीन)